

Govind Ballabh Pant
Institute of Engineering & Technology
Pauri Garhwal (Uttarakhand)



Minutes of 34th Meeting
of
Board of Governors
Held on
19.01.2024

संस्थान की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस (बी०ओ०जी०) की बैठक दिनांक 19.01.2024 को 1:00 बजे कमरा न० 120, विधानसभा, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री सुबोध उनियाल
माननीय मंत्री / तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार,
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद्, जी.बी.पी.आई.ई.टी, पौड़ी | अध्यक्ष |
| 2. श्री रविनाथ रामन
सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन,
उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद्, जी.बी.पी.आई.ई.टी, पौड़ी | उपाध्यक्ष |
| 3. प्रोफेसर ओंकार सिंह
कुलपति, वीर माधों सिंह भण्डारी
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून | सदस्य |
| 4. श्री पंकज गुप्ता
अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज संघ, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 5. श्री विजय कुमार
संयुक्त सचिव, (वित्त), उत्तराखण्ड शासन | सदस्य |
| 6. श्री आर.पी. गुप्ता
निदेशक, तकनीकी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 7. प्रोफेसर वी.एन. काला
निदेशक, जी.बी.पी.आई.ई.टी, पौड़ी | सदस्य-सचिव |



34.01 बोर्ड ऑफ गवर्नेस की 33वीं बैठक दिनांक 04.03.2023 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

34.02 बोर्ड ऑफ गवर्नेस की 33वीं बैठक के कार्यवृत्त की कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया।

रिट पिटीशन WPSB 607/2021 के संदर्भ में माननीय बोर्ड द्वारा तीन सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें से एक सदस्य श्री हरि सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा दूसरे सदस्य Dr. R. P. S. गंगवार निदेशक WIT से कार्यमुक्त हो चुके हैं। अतः माननीय बोर्ड द्वारा नई कमेटी का गठन किया गया है। जो कि निम्नानुसार है।

- | | |
|---|------------|
| 1. Sri R.P. Gupta,
Director, Technical Education,
Uttarakhand | - Convener |
| 2. Dr. Manoj Panda
Director, WIT
Dehradun | - Member |
| 3. Sri Vijay Kumar
Joint Secretary
Finance, Uttarakhand Govt. | - Member |

उपरोक्त कमेटी अपनी रिपोर्ट 20 फरवरी 2024 तक प्रस्तुत करेगी।

34.03 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 654/XLI-A/42/2016 (ई-55969) दिनांक 27.05.2023 के द्वारा डॉ. वाई सिंह, प्रभारी निदेशक, जी.बी.पी.आई.ई.टी., पौड़ी को वि.त्रि.कुमारु प्रौद्योगिक संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में सम्बद्ध, डॉ. ए.के. गौतम, विभागाध्यक्ष, ई.सी.ई.डी. को नन्ही परी, सीमान्त प्रौद्योगिक संस्थान, पिथौरागढ़ में सम्बद्ध व वरिष्ठतम आचार्य डॉ. वी.एन. काला (ए.एस.एच.डी.) को जी.बी.पी.आई.ई.टी., पौड़ी गढ़वाल का प्रभारी निदेशक का प्रभार एवं डॉ. राजेश कुमार, प्रोफेसर, ई.सी.ई.डी. को प्रभारी विभागाध्यक्ष का कार्यभार दिये जाने के सम्बन्ध में।

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 654/XLI-A/42/2016 (ई-55969) दिनांक 27.05.2023 के द्वारा डॉ. वाई सिंह, प्रभारी निदेशक, जी.बी.पी.आई.ई.टी., पौड़ी को वि.त्रि.कुमारु प्रौद्योगिक संस्थान, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में सम्बद्ध, डॉ. ए.के. गौतम, विभागाध्यक्ष, ई.सी.ई.डी. को नन्ही परी, सीमान्त प्रौद्योगिक संस्थान, पिथौरागढ़ में सम्बद्ध व वरिष्ठतम आचार्य डॉ. वी.एन. काला (ए.एस.एच.डी.) को जी.बी.पी.आई.ई.टी., पौड़ी गढ़वाल का प्रभारी निदेशक का प्रभार एवं डॉ. राजेश कुमार, प्रोफेसर,

ई.सी.ई.डी. को प्रभारी विभागाध्यक्ष को कार्यभार दिये जाने हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

34.04 डॉ. ए.के.गौतम, प्रोफेसर नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग कालेज पिथौरागढ़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में अभियोजन चलाये जाने हेतु SSP पौड़ी को विभागीय अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

डॉ. ए.के.गौतम, प्रोफेसर नन्ही परी सीमान्त इंजीनियरिंग कालेज पिथौरागढ़ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में अभियोजन चलाये जाने हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा मा0 मंत्री/अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिस पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान की आगामी 34वीं बोर्ड की बैठक में रखे जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने हेतु SSP पौड़ी को विभागीय अनुमति प्रदान की जाय।

34.05 संस्थान में शिक्षकों को कैरियर एडवांस स्कीम के तहत पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा संस्थान में शिक्षकों को कैरियर एडवांस स्कीम के तहत पदोन्नति दिये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची में आवश्यक संसोधन कर अनुमोदन लेने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही Govt. Nominee के लिए शासन को पत्र भेजने के लिए निर्देशित किया गया।

34.06 संस्थान को पूर्व की भौति सप्ताह में पाँच दिन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा पांच दिन संचालित किये जाने वाले प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

34.07 संस्थान की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए आउटसोर्स कार्मिकों हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष प्रशासकीय परिषद् की अनुशंसा तथा प्रशासकीय परिषद् के अनुमोदन के उपरांत संस्थान में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का अनुबंध मैमर्स के ० वी ० एम ० इंफ्राबिल्ट प्राइवेट लिमिटेड देहरादून के साथ 01 सितम्बर 2023 को हुआ है। इस प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रशासकीय

परिषद की 34 वीं बैठक में बोर्ड के सम्मुख रखा गया जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही बोर्ड द्वारा 191 पदों को आउटसोर्स से स्वीकृति करने हेतु कॉलेज में रिक्त पदों को आउटसोर्स में समायोजित करते हुए शेष पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन में भेजने हेतु निर्देशित किया गया। इस सन्दर्भ में तीन सदसीय कमेटी का गठन किया गया है जो पदों का विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगी। कमेटी में निम्न सदस्य होंगे।

1. Professor Ashish Negi , HOD MCA-

Convener

2. Sri Prakash Tiwari (Deputy Secretary Uttarakhand Govt.)-

Member

3. Professor Satender Singh (Registrar UTU)-

Member

34.08 डॉ. सरीश चन्द्रवंशी, सहायक प्रोफेसर जी.बी.पन्त इंस्टी. ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, पौड़ी के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु , SSP पौड़ी को विभागीय अनुमति प्रदान करने हेतु विभागीय अनुमति विषयक।

डॉ. सरीश चन्द्रवंशी, सहायक प्रोफेसर जी.बी.पन्त इंस्टी. ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, पौड़ी के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु बोर्ड द्वारा डॉ. सरीश चन्द्रवंशी, सहायक प्रोफेसर, जी.बी.पी.आई.ई.टी., पौड़ी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग चलाने हेतु SSP पौड़ी को विभागीय अनुमति दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान दिया गया।

34.09 संस्थान में अवर अभियंता के पद को प्रतिनियुक्ति /आउटसोर्स से भरे जाने के संबंध में।

संस्थान में वर्तमान में कार्यरत अवर अभियंता 30 नवंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। वर्तमान में संस्थान में सिविल अनुरक्षण से संबंधित कार्य चल रहे हैं। अवर अभियंता के सेवानिवृत्त होने पर सिविल अनुरक्षण के कार्य प्रभावित हो रहा है।

बोर्ड द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का अवलोकन कर अवर अभियंता के पद को प्रतिनियुक्ति /आउटसोर्स से भरे जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

34.10 संस्थान में रिक्त लेखाधिकारी पद को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने के संबंध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया एवं उक्त प्रस्ताव को शासन को भेजने के लिए निर्देशित किया गया।

34.11 संस्थान में वर्तमान में कार्यरत उपपुस्तकालयध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उक्त पद को प्रतिनियुक्ति /आउटसोर्स से भरे जाने के संबंध में।

उक्त प्रस्ताव का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया , तथा उपपुस्तकालयध्यक्ष पद को प्रतिनियुक्ति /आउटसोर्स से भरे जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

34.12 दिनांक 02.05.2023 को संस्थान में जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा संयुक्त टीम के साथ आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के संबंध में।

संस्थान में दिनांक 02.05.2023 को जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा संस्थान में संयुक्त रूप से विभिन्न छात्रावासों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कतिपय छात्रावासों के निकट एवं कैम्पस के कई स्थानों पर कूड़ा, गन्दगी इत्यादि फैली हुई थी। जिससे जिलाधिकारी संतुष्ट नहीं हो पाये। फलस्वरूप जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा तत्कालीन निदेशक डॉक्टर वाई सिंह, छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर आज़ाराम वर्मा और डॉक्टर संदीप कुमार पर उक्त अपराध हेतु रुपये 5000(पांच हजार) अधिरोपित किया गया। उक्त प्रकरण को माननीय बोर्ड के सम्मुख रखा गया। माननीय बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण को विधिक दृष्टि से आवश्यक परीक्षण एवं निर्णय हेतु शासन को भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

34.13 डॉ. संदीप भट्ट, सहायक आचार्य (गणित) को मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में डॉ. राकेश भट्टला द्वारा दायर रिट पीटीशन संख्या 560 / 2019 एवं दिनांक 18.12.2023 के तहत संस्थान के एप्लाइड साइंस एवं ह्यूमिनिटीज विभाग में गणित विषय हेतु कार्य ग्रहण करने के संबंध में।

डॉ. संदीप भट्ट के नियुक्ति का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 18.12.2023 का संज्ञान लेते हुए डॉ. संदीप भट्ट को सहायक आचार्य (गणित) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया। प्रकरण को बोर्ड के संज्ञान में लाया गया। माननीय बोर्ड द्वारा उक्त प्रकरण पर अनुमोदन दिया गया।

34.14 डॉ. समीक्षा उनियाल, सहायक प्रोफेसर, जी.बी.पी.आई.ई.टी., पौड़ी को वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में सम्बद्ध किये जाने के संबंध में।

कुलसचिव, वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून के कार्यालय के पत्रांक संख्या 3644 / वी.मा.सिं.भ.उ.प्रौ.वि.वि. / 2024 दिनांक 06.01.2024 का अवलोकन करते हुए डॉ. समीक्षा उनियाल, सहायक प्रोफेसर, जी.बी.पी.आई.ई.टी. पौड़ी को विश्वविद्यालय की नितांत आवश्यकता के दृष्टिगत ,

विशेष परिस्थितियों में, एम.बी.ए. पाठ्यक्रम को संचालन हेतु छात्रहित में विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट अनुभाग में सम्बद्ध किये जाने हेतु इस शर्त पर अनुमित प्रदान की गयी कि डॉ. समीक्षा उनियाल का वेतन मूल विभाग से आहरण किया जायेगा एवं डॉ. समीक्षा उनियाल के स्थान पर जी.बी.पी.आई.ई.टी. पौड़ी में उनके स्थान पर अतिथि शिक्षक का वेतन वीर माधो सिंह भण्डारी, तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा निर्वहन किया जायेगा।

34.15 चक्रीय क्रम में संस्थान के वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष को प्रशासकीय परिषद का सदस्य नामित करने के सन्दर्भ में।

माननीय बोर्ड द्वारा डॉक्टर आशीष नेगी विभागाध्यक्ष, एम.सी.ए. को एक वर्ष के लिए प्रशासकीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है।

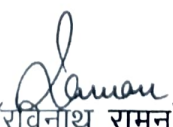
34.16 प्रशासकीय परिषद द्वारा कॉलेज में नये सत्र से डिग्री कोर्स उपलब्ध करने के सन्दर्भ में।

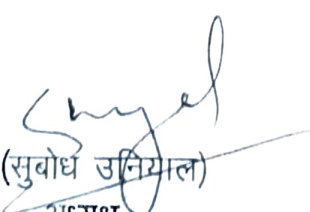
माननीय बोर्ड द्वारा कॉलेज में नये सत्र से आर्टिफिसियल इंटेलिजेन्स, रोबोटिक इंजीनियरिंग, डाटा साइंस एवं गेमिंग एनिमेशन में डिग्री कोर्स उपलब्ध कराने पर अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

34.17 श्री संदीप कुमार (भूतपूर्व कुलसचिव) की विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के सन्दर्भ में।

श्री संदीप कुमार (भूतपूर्व कुलसचिव), जिनको शासन द्वारा वर्खास्त किया जा चुका है के द्वारा कॉलेज की विभिन्न प्रकार की शिकायतें शासन, प्रशासन, CM Portal, Vigilance, RTI के माध्यम से भेजी जा रही है तथा अनावश्यक रूप से बिना किसी सबूत के कॉलेज के शिक्षकों / कर्मचारियों पर रिश्तत लेने एवं भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि सरासर निराधार है। उक्त प्रकरणों को माननीय बोर्ड के संज्ञान में लाया गया। माननीय बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि श्री संदीप कुमार संस्थान से वर्खास्त हो चुके हैं अतः इनकी समस्त शिकायतों का सदस्य सचिव निराकरण कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करा दें।


(डॉ. वी.एन. काला)
सदस्य / सचिव


(रविनाथ रामन)
उपाध्यक्ष


(सुबोध उनियाल)
अध्यक्ष